न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24/2022 वाद

श्री तेजराम भील पिता श्री केसा भील, आयु 52 वर्ष, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

वादी

बनाम

1. अमरी पुत्री श्री केला मीणा, आयु वयस्क,
2. कमला पुत्री श्री केला मीणा, आयु वयस्क,
3. मृतक केसरी पत्नी श्री केला मीणा, आयु वयस्क,
4. श्री बाबुड़ा पुत्र श्री रतना मीणा, आयु वयस्क,
5. मंजु पुत्री श्री केला मीणा, आयु वयस्क,
6. श्री मावजी पुत्र श्री रतना मीणा, आयु वयस्क,
7. श्री रामा पुत्र श्री रतना मीणा आयु वयस्क,
8. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री रतना मीणा, आयु वयस्क,
9. श्री लालूराम पुत्र श्री केला मीणा, आयु वयस्क,
10. मृतक श्रीमती वरजू पत्नी श्री रतना मीणा, आयु वयस्क,
11. श्रीमती वीरजी पुत्र श्री रतना मीणा, आयु वयस्क,
12. श्री शंकर पुत्र श्री रतना मीणा, आयु वयस्क,
13. श्री शंकर पुत्र श्री केला मीणा, आयु वयस्क,
    सर्वनिवासी बलीचा तह. गिर्वा, जिला उदयपुर
14. श्रीमान् तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री अरूण जैन अधिवक्ता वादी उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

निर्णय

दिनांक : 14.08.2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व मौजा टीडी पटवार हल्का टीडी तहसील गिर्वा के आराजी 3634 मी. रकबा 0.8555 हैक्टेयर भूमि में वादी का 2621/8555वॉ हिस्सा निहित है। प्रतिवादी नम्बर 1 से 13 के मध्य आपसी सामजस्य समाप्त हो गया एवं आये दिन वादी के हिस्से की भूमि को हड़पने की नियत से वादी को हिस्से अनुसार काश्त करने में रूकावट करते है व फसलों को नुकसान पहुचाते है जिससे भूमि का सुधार भी वादी नहीं करा पा रहा है। ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को कई बार हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 13 ने कोई परवाह नहीं कर रहे है, न बंटवाडा करा रहे है। वाद कारण दिनांक 04.01.2022 को पैदा हुआ जबकि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को आखिर बार हिस्से

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

अनुसार बंटवाडा करने हेतु कहा फिर भी कोई तवज्जा नहीं दी व निरन्तर जारी है।

अतः वाद की कलम संख्या 1 में अंकित आराजीयात का वादी व प्रतिवादी 1 से 13 के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्डरा के आधार विधिक बंटवाडा कराया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के विरूद्ध इस अमर की निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वादी को अपने हक व हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2023 को वादी का वाद प्रारंभिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारों के मध्य उभयपक्ष की उपस्थिति में बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 एवं 10 की मृत्यु होकर प्रतिवादी संख्या तीन केसरी पत्नी केला मीणा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 9, 13 एवं प्रतिवादी संख्या 10 श्रीमती वरजू पत्नी रतना मीणा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 4, 6, 7, 8, 11, 12 होकर पूर्व में ही रिकार्ड पर उपस्थित है। तहसीलदार गिर्वा द्वारा पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पत्रांकः राजस्व / प्रा0डि़0 / 2023 / 280 दिनांक 03.07.2023 द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादी प्रस्तुत पालना रिपोर्ट से सहमत हैं। अतः प्रस्तुत प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार :—

1—अमरी पुत्री केला, हि. 989 / 11868, कमला पुत्री केला हि.989 / 11868, मंजु पुत्री केला हि.989 / 11868, लालुराम पुत्र केला हि. 989 / 11868, शंकर पुत्र केला हि. 989 / 11868, केसरी पत्नि केला हि. 989 / 11868 हि. मीणा सा देह, बाबुडा पुत्र रतना हि. 2967 / 41538, मावजी पुत्र रतना हि. 2967 / 41538, रामा पुत्र रतना हि. 2967 / 41538, लक्ष्मण पुत्र रतना हि. 2967 / 41538, वीरजी पुत्र रतना हि. 2967 / 41538, शंकर पुत्र रतना हि. 2967 / 41538, वरजु पत्नि रतना हि. 2967 / 41538 जाति मीणा सा. देह खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
3634मी.	0.5934	0.34
किता 1	रकबा 0.5934	लगान 0.34

2—तेजराम पुत्र केसा भील नि. बलीचा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

आ.स.	रकबा	लगान
3634 / 3	0.2621	0.16

किता 1 रकबा 0.2621 लगान 0.16

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी को राजस्व ग्राम टीडी पटवार हल्का टीडी तहसील गिर्वा के आराजी 3634 मी. रकबा 0.8555 हैक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। वादी के आधिपत्य की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 2, 4 से 9 तथा 11 से 13 वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न अपने नौकर एजेन्ट रिश्तेदार से करावें। तहसीलदार ~~कुराबड़~~ गिर्वा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

14/08/23

(प्रतिभा वर्मा)
आई ए एस
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा - उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. मुकदमा 24/2022 सन 2022 सीगह वाद श्री तेजाराम भील पिता श्री केसा भील, आयु 52 वर्ष, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर बनाम (1)अमरी पुत्री श्री केला मीणा, आयु वयस्क, (2)कमला पुत्री श्री केला मीणा, आयु वयस्क, (3)मृतक केसरी पत्नी श्री केला मीणा, आयु वयस्क, (4)श्री बाबुड़ा पुत्र श्री रतना मीणा, आयु वयस्क, (5)मंजु पुत्री श्री केला मीणा, आयु वयस्क, (6)श्री मावजी पुत्र श्री रतना मीणा, आयु वयस्क, (7)श्री रामा पुत्र श्री रतना मीणा आयु वयस्क, (8)श्री लक्ष्मण पुत्र श्री रतना मीणा, आयु वयस्क, (9)श्री लालूराम पुत्र श्री केला मीणा, आयु वयस्क, (10)मृतक श्रीमती वरजू पत्नी श्री रतना मीणा, आयु वयस्क, (11)श्रीमती वीरजी पुत्र श्री रतना मीणा, आयु वयस्क, (12)श्री शंकर पुत्र श्री रतना मीणा, आयु वयस्क, (13)श्री शंकर पुत्र श्री केला मीणा, आयु वयस्क, सर्वनिवासी बलीचा तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (14)श्रीमान् तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री अरूण जैन की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

1–अमरी पुत्री केला, हि. 989/11868, कमला पुत्री केला हि.989/11868, मंजु पुत्री केला हि. 989/11868, लालुराम पुत्र केला हि. 989/11868, शंकर पुत्र केला हि. 989/11868, केसरी पत्नि केला हि. 989/11868 हि. मीणा सा देह, बाबुडा पुत्र रतना हि. 2967/41538, मावजी पुत्र रतना हि. 2967/41538, रामा पुत्र रतना हि. 2967/41538, लक्ष्मण पुत्र रतना हि. 2967/41538, वीरजी पुत्र रतना हि. 2967/41538, शंकर पुत्र रतना हि. 2967/41538, वरजु पत्नि रतना हि. 2967/41538 जाति मीणा सा. देह खातेदार

	आ.स.	रकबा	लगान
	3634मी.	0.5934	0.34
किता	1	रकबा 0.5934	लगान 0.34

2–तेजराम पुत्र केसा भील नि. बलीचा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

	आ.स.	रकबा	लगान
	3634/3	0.2621	0.16
किता	1	रकबा 0.2621	लगान 0.16

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी को राजस्व ग्राम टीडी पटवार हल्का टीडी तहसील गिर्वा के आराजी 3634 मी. रकबा 0.8555 हैक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। वादी के आधिपत्य की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 13 वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, यह कार्य न तो स्वयं करें न अपने नौकर एजेन्ट रिश्तेदार से करावें। तहसीलदार ~~[illegible]~~ गिर्वा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

और इस वाद के खर्चे लेखे ......x........ रुपये की राशि.......x......आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ......x........ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....x...द्वारा .....x........को दी जाए।

यह आज तारीख ....14.......... माह ..08.. सन् ....2023....... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....[signature] 14/08/23

पद .... उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

वादी : तेजराम

विपक्षी / प्रतिवादी : अमरी

किस्म मुकदमा : वाद

पत्रावली संख्या : 24 / 2022 सन 2022

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 18.8.23 पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रकरण में दिनांक 01.0.2023 को जारी निर्णय एवं फाईनल डिक्री में उक्त वादग्रस्त आराजीयात राजस्व ग्राम टीडी पटवार मण्डल टीडी तहसील गिर्वा की होने से निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार गिर्वा को लिखा जाना था। परन्तु लिपिकीय भूल से तहसीलदार गिर्वा के स्थान पर तहसीलदार कुराबड़ लिखा गया है। **सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152** – निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित सम्बन्धी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णय एवं डिक्री में गिर्वा के स्थान पर कुराबड़ का अंकन लिपिकीय भूल से किया गया है। अतः धारा 152 सीपीसी में तहत स्वप्रेरणा के तहत मूल ही निर्णय एवं डिक्री में शद्धि किया जाकर कुराबड़ के बजाय गिर्वा अंकित किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (प्रतिभा वर्मा IAS) उपखण्ड अधिकारी गिर्वा–उदयपुर	